



Case No. 57/2025

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

SUMMONS

फाइल सं.: NCST/DEV-3201/JH/23/2024-ESDW-RU-IV

श्री नमन प्रियेश लाकड़ा,
उपायुक्त,
जिला - देवघर
कार्यालय उपायुक्त,
झारखंड शासन,
देवघर, झारखंड 814112
Email Id: dc-deo@nic.in

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए निम्नलिखित मामलें का अन्वेषण करने का निश्चय किया है, अतः राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय सदस्य डॉ आशा लकड़ा के समक्ष दिनांक **07/07/2025** को **11:20 A.M** बजे, आयोग मुख्यालय, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में आपकी व्यक्तिगत उपस्थिति एतद्वारा अपेक्षित है। आप आयोग द्वारा जांच के लिए संबन्धित दस्तावेज़ अपने साथ लायें।

मामलें का संदर्भ :-

- संदर्भ 1
- (i) पति के निधन के बाद सौतेले पुत्रों द्वारा सम्पत्ति के बंटवारे में हिस्सा न देने के संबंध में श्रीमती हेमा देवी, पति - स्व. रामदास साह, ग्राम - अमगडीय, पोस्ट मलहरा, थाना रिखीया, जिला देवघर (झारखंड) का अभ्यावेदन।
 - (ii) आयोग का नोटिस दिनांक 10.09.2024 (प्रतिलिपि संलग्न)

यदि आप बिना किसी विधि-सम्मत के कारण के आदेश का अनुपालन नहीं करते हैं तो आपको सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XVI के नियम 12 में दिये गए अनुपस्थिति के परिणाम भुगतने होंगे।

दिनांक **01/07/2025** को मेरे हस्ताक्षर और सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की मोहर से दिया गया।

मोहर



हस्ताक्षर

(Signature)

न्यायालय अधिकारी

Court Officer
National Commission for Scheduled Tribes
Government of India
Lok Nayak, Bhawan, New Delhi-110003

Copy to: - NIC for uploading